3. The objective of the scheme is to bring about self-sufficienty in respect of extra-long staple cotton by covering an area of 5 lakh acres in five years with estimated production of about 4 lakh bales.

(c) The schemes in Living examined.

Withdrawal of Central Levy on Fertiliser

*267. SHRI SARJOO PANDEY :
SHRI NAVAL KISHORE SHARMA :
SHRI P C. ADICHAN :
SHRI D. V. SINGH :
SHRI MURASOLI MARAN :
SHRI R. K. BIRLA :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there has been a massive slump in the rate of fertiliser consumption since 10 per cent excise duty was imposed on fertiliser in the current year's budget ;

(b) if so, what are the reasons therefor ; and

(c) whether in view of the steep fall in the consumption of fertiliser his Ministry would recommend withdrawal of levy on fertilisers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) No, Sir. The estimates of consumption made by the States indicate that an increase of about 12.5 per cent in fertiliser consumption is expected during this year's Kharif over that of last year. However, the rate of increase in consumption of fertilisers has been lower than planned.

(b) and (c). Do not arise.

राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

*268 **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम आयोग के अध्यक्ष, श्री वी० वी० गजेन्द्रगडकर, द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में श्रम न्यायालयों के निर्णय सब पर अनिवार्य रूप से लागू करने का सुझाव दिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने अभी तक हिंदी में अथवा दोनों भाषाओं (हिन्दी और अंग्रेजी) में कोई भी प्रकाशन नहीं निकाला है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अधिकारों और दायित्वों, पंचाटों की व्याख्या व क्रियान्विति तथा कानूनों व करारों के अनुपगी उपबन्धों के अन्तर्गत अधिकारों तथा दायित्वों से उत्पन्न दावों और श्रम शोषण तथा ऐसे ही कार्यों से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य में स्थायी श्रम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की है। जैसा कि आयोग ने परिकल्पना की है, श्रम न्यायालय ऐसे न्यायालय होंगे जहां इन सब विवादों का फैसला होगा और उनके निर्णयों को क्रियान्वित किया जायेगा।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की इस और अन्य सिफारिशों पर सरकार संबधित पक्षों के परामर्श से विचार कर रही है।

(ग) और (घ). यह रिपोर्ट अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है और इसका हिन्दी अनुवाद करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

Beet Sugar

*269. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of FOOD AND AGRICUL-